

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री गिर्राज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्रोसा 90/19 ता 0 रजु. 6-1-20 किरम मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 4-2-2020

सरकार

बनाम

होरी लाल पुत्र रोशन ब्राह्मण खरगावली तह 0 बयाना जिला—भरतपुर।
खरगावली

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का खरगावली ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम खरगावली के खसरा नं 1936 रकवा 0:04 हैक्ट में से रकवा 0:04 हैक्ट किस्म भूमि चारागाह पर सम्यत 2076 में श्री होरी लाल पुत्र रोशन ब्राह्मण खरगावली तह 0 बयाना ने सरको कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल गिराल हैं। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपना जबाव पेश किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 1936 रकवा 0:04 हैक्ट वाके ग्राम खरगावली से बेदखल किया जाता है। लगान 0:64 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 3210 रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फौसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 4-2-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस बयानकी की पत्रावली
न. ड. नं. 04 के रजु. नं. 32
दिनांक 4/2/20 को पेश
पैनल्टी नं. 32
न्यायालय
न्यायालय
न्यायालय

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

